रजिस्ट्री सं० डी-222 REGISTERED No. D-222

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं० 44] नई दिल्ली, शनिवार, नवम्बर 1, 1969 (कार्तिक 10, 1891)
No. 44] NEW DELHI, SATURDAY, NOVEMBER 1, 1969 (KARTIKA 10, 1891)

इस भाग में भिन्न पृष्ठ संख्या दी जाती है जिससे कि यह अलग संकलन के रूप में रखा जा सके
(Separate paging is given to this Part in order that it may be filed as a separate compilation)

भाग III—खण्ड 4
(PART III—SECTION 4)

विधिक निकायों द्वारा जारी की गई विविध अधिसूचनाएं जिसमें अधिसूचनाएं, आदेश, विज्ञापन और सूचनाएं सम्मिलित हैं
(Miscellaneous Notifications including Notifications, Orders, Advertisements and Notices issued by Statutory Bodies)

स्टेट बैंक आफ इंडिया
केन्द्रीय कार्यालय,
सूचना

बम्बई, दिनांक 16 अक्तूबर 1969

इसके द्वारा सूचना दी जाती है कि बैंक के पे-आफिस तथा ट्रेजरी पे-आफिस का नामोद्दिष्ट क्रमशः "सब-आफिस" तथा "ट्रेजरी-सब-आफिस" किया गया है। इन आफिसों के कार्यभारी अधिकारियों का नामोद्दिष्ट क्रमशः "कार्यभारी अधिकारी, सब-आफिस" तथा "कार्यभारी अधिकारी, ट्रेजरी-सब-आफिस" रहेगा। इनको दिये हुये हस्ताक्षर करने की शक्तियों के उपयोग का अधिकार पहले की तरह ही चालू रहेगा।

एन० रामानन्द राव
प्रबन्ध-निदेशक

रेल दर अधिकरण, मद्रास के समक्ष

[रेल दर अधिकरण नियमावली 1959 के नियम 19(3) और (4) के अधीन जारी की गयी सार्वजनिक सूचना]

1969 का प्रार्थना पत्र सं० 2

दि दिल्ली क्लाथ एण्ड जनरल मिल्स कम्पनी लिमिटेड, श्री राम फर्टिलाइसर्स एण्ड कैमिकल्स, कोटा (राजस्थान) के मालिक ... शिकायतकर्ता

बनाम

भारत संघ जो पश्चिम रेलवे का मालिक है और जिसका प्रतिनिधित्व उस रेलवे के महा प्रबंधक द्वारा किया जाना है। ... प्रत्यर्थी

यतः उपर्युक्त शिकायतकर्ता ने रेल अधिनियम 1890 की धारा 41(1) के अधीन यह बताते हुए एक शिकायत पेश की है कि कोटा में स्थित अपने कारखाने मे उत्पादित मुख्य रासायनिक खाद यूरिया है और उन्होंने यूरिया के लिए आवश्यक मुख्य कच्ची सामग्री नैप्था को इण्डियन आइल कार्पोरेशन से प्राप्त करने की प्रस्तावना की है, शिकायत कर्ता ने 1966 मे नैप्था की अपनी वार्षिक आवश्यकता का प्रति वर्ष 1,50,000 मी० ट० पर अनुमान लगाया है और उसने इस परिमाण को कोयाली या बबई से, यथा स्थिति, टैंक वैगनों के पूर्ण ब्लाक गाडी भारों मे कोटा मे स्थित अपने साइडिंगों को परिवाहित करने का प्रस्ताव किया था, शिकायतकर्ता को मालूम हुआ कि 1965 मे प्रत्यर्थी ने किसी दूसरी कंपनी को जो तत्काल कोटा मे खाद कारखाना स्थापित करने का विचार कर रहा था नैप्था के लिए तत्काल अमल मे रहने वाले वर्ग 110-बी के पूर्ण शुल्क दर के मुकाबले मे वर्ग 85-बी-विशेष पर विशेष दर की सुविधा देने का प्रस्ताव किया था और रासायनिक खाद के उत्पादन के लिए वर्ग 85-बी के समान विशेष दर की सुविधा बरौनी से सिंदरी को दी गयी थी; शिकायतकर्ता न अपने दिनांक 5-9-66 के पत्र द्वारा रेलवे बोर्ड से अभिवेदन किया था कि सार्वजनिक हित और परिचालन खर्च के आधार पर कोटा पर स्थित अपनी परियोजना को परिवाहित नैप्था के लिए वर्गीकरण 62-5-बी के अधीन शुल्क दर वसूली जाय, रेलवे बोर्ड ने अपने दिनाक 5-11-66 के पत्र द्वारा बबई और कोयाली से कोटा को गाड़ी भारों में मालिक के दायित्व पर नैप्था के परिवहन के लिए वर्ग 85-बी विशेष वहन क्षमता न्यूनतम भार के समान विशेष दर की सुविधा देने की सम्मति दी और साथ साथ यह भी बताया था कि कारखाने के वास्तविक स्थापन के पूर्व ही विशेष दर

बताये जाने के कारण वास्तविक यातायात के प्रारम्भ के बाद इसकी समीक्षा की जा सकती है; शिकायतकर्ता ने फिर वर्ग 62-5-बी को स्वीकृत करने का अभिवेदन किया और इस समय कारखाने का निर्माण करने लगा, शिकायतकर्ता ने मई 1968 में बोर्ड को लिखा कि जून/जुलाई 1968 में अपनी परियोजना के लिए नैपथा का यातायात प्रारम्भ होने की सम्भावना है और प्रार्थना की कि वर्ग 62-5-बी पर भाड़ा वसूल करने के अपने अभिवेदन पर विचार करने तक बोर्ड की पहले की रियायती दर वर्ग 85-बी विशेष की पुष्टि करें; बोर्ड ने अपने दिनांक 11-7-68 के पत्र में न केवल वर्ग 62-5-बी की घटायी दर को न बताया बल्कि यह बताया है कि वर्ग 85-बी विशेष पर रियायती दरों को बताने का भी औचित्य नहीं है; कारखाने में उत्पादन कार्य आरम्भ हो गया है और वर्ग 105-बी पर पूर्ण किराये पर 1968 से कोयाली से कोटा का नैपथा का यातायात आरंभ हो गया है; कोयाली से कोटा को नैपथा के परिवहन के लिए प्रत्यर्थी द्वारा प्रभारित भाड़ा अनुचित है और वैसे ही बंबई से कोटा की वर्तमान शुल्क दर जब लागू हो जाती है अनुचित होगी; प्रस्तावित भाड़ा दर का कोई संबंध कर्षण दूरी और माल की उपयोगिता इन दोनों से नहीं की जाती; और एक कच्ची सामग्री जिप्सम का वैगन भार में सामान्य वर्गीकरण 35-5-ए के अधीन है, परंतु जब जन्मसर और कवस से सिंदरी फर्टिलाइसर कारखाना को परिवहित की जाती है तब उसके लिए दर में करीब 5% का घटाव दिया जाता है; पर्याप्त मात्रा में यातायात होने से रेलवे को होनेवाली प्रचुर किफायत और गाड़ी भार में नियमित रूप से होनेवाली यातायात पर ध्यान नहीं दिया गया है; शिकायतकर्ता का यातायात बंबई और कोयाली के इमदादी साइडिंगों से कोटा पर के निजी साइडिंग को है जिसके कारण प्रत्यर्थी को टर्मिनल सेवाओं में क्षति होती है; शिकायतकर्ता ने भारी लागत पर अपने कारखाने का निर्माण किया है और प्रत्यर्थी द्वारा पूर्व बतायी दर का अस्वीकार किया जाना अनुचित है, नैपथा के लिए कोयाली और बंबई से कोटा को वर्ग 105-बी के अधीन की दरें रासायनिक खादों के लिए खंड 'ए' और 'बी' और यूरिया के लिए क्रमशः वर्ग 40-ए, 32-5-ए और 40-ए की प्रचलित दरों की तुलना में कई स्थानों से सिंदरी को जिप्सम के लिए प्रचलित दर वर्ग 45-ए से कम विशेष स्टेशन से स्टेशन दर की तुलना में भी शिकायतकर्ता के लिए अनुचित प्रतिकूल प्रभाव में परिणत होंगी और इससे ट्राम्बे, बड़ौदा, बरौनी, सिंदरी, कानपुर और गोरखपुर के रासायनिक खाद उत्पादकों के प्रति अनुचित पक्षपात होगा जिससे अधिनियम के खंड 28 का उल्लंघन होगा।

और यतः शिकायतकर्ता ने (1) कोयाली और बंबई से डाढ़देवी स्टेशन द्वारा परिसेवित अपने साइडिंग को नैपथा के परिवहन के लिए प्रस्तुत दर को अनुचित घोषित करने (2) ऐसे परिवहन के लिए एक उचित दर निर्धारित करने और (3) प्रत्यर्थी को अनुचित पक्षपात का अन्त करने का आदेश देने और (4) शिकायतकर्ता को खर्च दिलाने की प्रार्थना की है।

और यतः यह माना जाता है कि और भी इस प्रकार के व्यक्ति होंगे जो रिकार्डों में नहीं हों परन्तु जिनका शिकायतकर्ता या उपर्युक्त प्रत्यर्थी के जैसे इन कार्यवाहियों में समान हित होगा;

अतः यह सार्वजनिक सूचना रेल दर अधिकरण नियमावली 1959 के नियम 19 (3) और (4) के अधीन दी जाती है ताकि कोई व्यक्ति जो चाहे, इस सूचना के प्रकाशन की तारीख से 30 दिनों के अन्दर इस शिकायत में प्रार्थित अनुतोष की पुष्टि में या विरोध में प्रविष्ट होने की अनुमति के लिए या शिकायतकर्ता अथवा प्रत्यर्थी के पक्ष में जोड़े जाने के लिए प्रस्तावित प्रवेश के आधार को या कार्यवाहियों में प्रार्थियों के हित या स्थिति स्पष्ट करते हुए या उपर्युक्त, शिकायत में एक पार्टी के रूप में जोड़े जाने के आधार स्पष्ट करते हुए अधिकरण को अर्जी पेश कर सकें। इस सार्वजनिक सूचना के बाद अधिकरण द्वारा दिया जानेवाला कोई भी निर्णय ऐसे सभी लोगों पर लागू होगा।

आज सितंबर 1969, 29 वीं तारीख को, सं० 1 पग्स रोड, राजा अण्णामलैपुरम, मद्रास-28 में मेरे हस्ताक्षर और अधिकरण की मुहर के अधीन जारी किया जाता है।

के० एस० शंकरैय्या,
सचिव
रेल दर अधिकरण, मद्रास-28

भाखड़ा प्रबंध बोर्ड

चंडीगढ़, दिनांक 21 अक्तूबर 1969

सं० का०आ० 12618 पंजाब पुनसंगठन अधिनियम, 1966 (1966 का 31) की धारा 79 की उपधारा 7 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, भाखड़ा प्रबंध बोर्ड, केन्द्रीय सरकार के पूर्वानुमोदन से उक्त बोर्ड के अध्यक्ष को तकनीकी मंजूरी, प्रशासकीय अनुमोदन और निर्माण, अनुरक्षण, विनियम और अपने भारसाधान के अधीन कार्य के संचालन के लिए अपेक्षित अन्य मंजूरियों से संबंधित उक्त धारा के अधीन तथा निम्न अनुसूची में विनिर्दिष्ट नियम, संहिता और निर्देशिकाओं के अधीन उससे संबंधित किन्हीं अन्य प्रशासकीय मामलों के संबंध में अपनी शक्तियों, कृत्यों और कर्त्तव्यों को एतद् द्वारा प्रत्यायोजित करता है:

अनुसूची

1. पंजाब सिविल सेवा नियम, खंड I, भाग I (मुख्य नियम)।
2. पंजाब सिविल सेवा नियम, खण्ड I, भाग II (परिशिष्ट और प्ररुप) आचरण और अनुशासनिक नियमों से संबंधित अध्यायों को छोड़कर जो केन्द्रीय या राज्य सरकारों/राज्य विद्युत् बोर्डों से प्रतिनियुक्ति पर आये हुए कर्मचारिवृन्द को लागू होते हैं।
3. पंजाब सिविल सेवा नियम, खड II (पेंशन और भविष्य निधि से संबंधित नियम)।
4. पंजाब सिविल सेवा नियम, खड III (यात्रा भत्ता नियम)।
5. वित्तीय हस्त पुस्तिका (हैन्डबुक) सं० 2—पंजाब वित्तीय नियम खड I
6. वित्तीय हस्त पुस्तिका सं० 2-पंजाब वित्तीय नियम खंड II (परिशिष्ट और प्ररुप)।

7. वित्तीय हस्त पुस्तिका सं० 3–विभागीय वित्तीय नियम (लोक निर्माण और वन विभागों से संबंधित)।

8. वित्तीय हस्त पुस्तिका सं० 4– पंजाब बजट निर्देशिका।

9. पंजाब लोक निर्माण विभाग, सिंचाई शाखा, प्रशासन निर्देशिका।

10. पंजाब लोक निर्माण विभाग संहिता।

11. सिंचाई शाखा के अधिकारियों के मार्ग-दर्शन के लिए पंजाब सरकार द्वारा जारी किये गये आदेशों की निर्देशिका।

12. पंजाब लोक निर्माण विभाग, सिंचाई शाखा, कार्यालय प्रणाली की निर्देशिका।

13. पंजाब मुद्रण और लेखन सामग्री निर्देशिका।

14. पंजाब विधि विभाग निर्देशिका।

भाखड़ा प्रबंध बोर्ड की अधिसूचना का० आ० तारीख 21-5-1969 को रद्द समझा जाए।

नृपिंदर सिंह,
सचिव
भाखड़ा प्रबंध बोर्ड

STATE BANK OF INDIA

Central Office

NOTICE

Bombay, the 16th October 1969

It is hereby notified that the pay offices and treasury pay offices of the Bank have since been redesignated as sub-offices and treasury sub-offices respectively. The officials-in-charge of these sub-offices will be designated "Officials-in-Charge of sub-offices" and "Officials-in-Charge of treasury sub-offices" respectively and will continue to exercise the signing powers hitherto exercised by them.

N. RAMANAND RAO,
Managing Director.

THE INSTITUTE OF CHARTERED ACCOUNTANTS OF INDIA

New Delhi-1, the 15th October 1969

No. 5-CA(1)/15/69-70.—With reference to this Institute's Notification No. 4-CA(1)/10/69-70, dated the 3rd September, 1969, it is hereby notified in pursuance of Regulation 18 of the Chartered Accountants Regulations, 1964, that in exercise of the powers conferred by Regulation 17 of the said Regulations, the Council of the Institute of Chartered Accountants of India has restored to the Register of Members, with effect from the 8th October, 1969, the name of Shri S. Ramakrishna, F.C.A., 5, Mahatma Gandhi Road, (Next to State Transport Depot), MADRAS-41, (Membership No. 2077).

The 16th October 1969

No. 4-CA(1)/14/69-70 - In pursuance of Regulation 16 of the Chartered Accountants Regulations, 1964, it is hereby notified that in exercise of the powers conferred by clause (a) of Sub-Section (1) of Section 20 of the Chartered Accountants Act, 1949, the Council of the Institute of Chartered Accountants of India, has removed from the Register of Members of this Institute, on account of death, with effect from the dates mentioned against their names, the names of the following gentlemen:—

S. No.	Membership No.	Name and Address	Date of Removal
1.	2879	Shri Homi Kaikhushroo Bamjee, Queens Chambers, 89, Queens Road, *BOMBAY.*	3-1-1969
2.	4624	Shri Manubhai Maganbhai Amin, Behramji Mansion, Sir P. M. Road, *BOMBAY-1.*	4-9-1969

No. 5-CA(1)/17/69-70.—With reference to this Institute's Notification No. 4-CA(1)/20/68-69, dated the 1st January, 1969, it is hereby notified in pursuance of Regulation 18 of the Chartered Accountants Regulations, 1964, that in exercise of the powers conferred by Regulation 17 of the said Regulations, the Council of the Institute of Chartered Accountants of India has restored to the Register of Members, with effect from the 13th October, 1969, the name of Shri George G. Valavi, A.C.A., C/o Indian Oil Corporation Ltd., 'Gagan Tara', 13, Camac Street, Calcutta-17, (Membership No. 8356).

The 17th October 1969

No. 5-CA(1)/17/69-70.—With reference to this Institute's Notification No. 4-CA(1)/18/68-69 dated the 30th December, 1968, it is hereby notified in pursuance of Regulation 18 of the Chartered Accountants Regulations, 1964, that in exercise of the powers conferred by Regulation 17 of the said Regulations, the Council of the Institute of Chartered Accountants of India has restored to the Register of Members, with effect from the 13th October, 1969, the name of Shri Ananta Kumar Basu, A.C.A., Arkwright Mansion, Flat No. 12, 206, Finchley Road, London, N.W. 3 (England), (Membership No. 8193).

C. BALAKRISHNAN,
Secretary

BEFORE THE RAILWAY RATES TRIBUNAL AT MADRAS

(Public Notice issued under Rule 19(3) and (4) of the Railway Rates Tribunal Rules 1959).

Complaint No. 2 of 1969

The Delhi Cloth and General Mills Co. Ltd.
Owners of Shriram Fertilisers and Chemicals
Kota. (Rajasthan). .. *Complainant*

vs.

The Union of India owing the Western
Railway and represented by its
General Manager .. *Respondent*

WHEREAS the complaint abovenamed has filed a complaint under Section 41(1) of the Railways Act 1890 stating that the principal item of fertilisers to be produced at their factory at Kota is urea and that they proposed to obtain naptha, the main raw material for urea from the Indian Oil Corporation; that in 1966, the Complainant estimated their annual requirements of naptha at 1,50,000 tonnes per year and proposed to move this quantity in full block train loads of tank wagons from Koyali or Bombay as the case may be to their sidings at Kota; that the complainant understood that in the year 1965 the respondent had offered to another firm which was then contemplating the erection of a fertiliser factory at Kota, special rates for naptha at Class 85-B Spl. as against the

full tariff rate of Class 110-B as then in force and that a special rate equal to Class 85-B had been allowed from Barauni to Sindri for the manufacture of fertilisers; that the Complainant represented to the Railway Board by letter dated 5-9-1966 that the movement of naptha to their project at Kota be charged under classification 62-5-B on the grounds of public interests and operational economies; that the Board by their letter dated 5-11-1966 agreed to quote a special rate equal to Class 85-B Spl. C.C.L. at Owner's risk for the transport of naptha in train loads from Bombay and Koyali to Kota and also added that since the special rate is being quoted ahead of the actual setting up of the factory, the rate might be reviewed when the actual traffic begins; that the complainant made further representation to the Board to accept class 62-5 B and in the meantime started construction of the factory; that the complainant addressed the Board in May 1968 that movement of naptha to their project was likely to start in June/July 1968 and requested that pending consideration of their representation to charge freight at class 62-5-B, the Board may confirm the earlier concession at Class 85-B-(Spl.); that the Board by their letter dated 11-7-68 not only did not quote a reduced rate at Class 62-5-B but also stated that there was no justification for the concessional rates even at class 85-B (Spl.); that the factory has now gone into production and the movement of naptha to Kota from Koyali has begun since 1968 at the full tariff rate of class 105-B; that the freight that the respondent is charging for the carriage of naptha from Koyali to Kota is unreasonable and so will be the current tariff rate from Bombay to Kota when it starts working; that the freight rates in question are inconsistent with the lengths of haul involved, and the use to which the material is put; that the general classification for another raw material, gypsum in wagon loads is 35-5-A but when moved to the Sindri Fertiliser Factory from Jamsar and Kavas, about 5% reduction in rate is given; that the substantial economies to the railway from the considerable volume of traffic and its regular movement in full train loads have not been taken note of; that the traffic of the complainant is from assisted sidings at Bombay and Koyali to their private siding at Kota by which the respondent saves in the terminal services; that the complainant built the factory at a considerable cost and it is unreasonable for the respondent to go back on their earlier offer; that the rates at class 105-B for naptha from Koyali and Bombay to Kota relative to the rates in force for chemical manures Divisions A and B and urea at Class 40-A, 32-5-A and 40-A respectively and relative also to the special station to station rates lower than class 35-A in force for gysum to Sindri from a number of sources result in undue prejudice to the complainant and undue favour to other manufacturers of fertilisers at Trombay, Baroda, Barauni, Sindri, Kanpur and Gorakhpur, contravening Section 28 of the Act;

AND WHEREAS the Complainant has prayed for (1) a declaration that the rates for the carriage of naptha from Koyali and Bombay to their sidings near Kota served by Dadhdevi station are unreasonable (2) fixation of reasonable rates for such carriage (3) ordering the respondent to abate the undue prejudice and (4) awarding costs to the Complainant;

AND WHEREAS it is thought that there may be persons who are not on record but have the same interest in the proceedings as the Complainant or the respondent abovenamed;

This public notice is, therefore, given under Rule 19(3) and (4) of the Railway Rates Tribunal Rules 1959 so that any person who desires may petition the Tribunal within thirty days of the publication of this notice for leave to intervene, in support of or in opposition to the reliefs sought for in the complaint or be added as a party on the side of the complainant or respondent setting forth the grounds of the proposed intervention or the position and the interest of the petitioner in the proceedings or the grounds for being added as a party in the above complaint. Any decision given by the Tribunal after this public notice shall apply to all such persons.

Given under my hand and seal of the Tribunal this 29th day of September, 1969, at No. 1 Pugh's Road, Raja Annamalaipuram, Madras-28.

K. S. SHANKARAIYA
Secretary,
Railway Rates Tribunal
Madras-28.

BHAKRA MANAGEMENT BOARD

Chandigarh, the 21st October 1969

No. S.O. 12618.—In exercise of the powers conferred by sub-section (7) of section 79 of the Punjab Reorganisation Act, 1966 (31 of 1966), the Bhakra Management Board, with the approval of the Central Government, hereby, delegates to the Chairman of the said Board its powers, functions and duties under the said section relating to the technical sanction, administrative approval and other sanctions required for the construction, maintenance, regulation and operation of the works under its charge and in respect of any other administrative matters relating thereto under the Rules, Code and Manuals specified in the schedule below :—

SCHEDULE

1. The Punjab Civil Services Rules, Volume I, Part I (Main Rules).
2. The Punjab Civil Services Rules, Volume I, Part II, (Appendices and Forms) except chapters relating to conduct and disciplinary rules in their application to the staff on deputation from Central or State Governments/State Electricity Boards.
3. The Punjab Civil Services Rules, Volume II (Rules relating to Pensions and Provident Fund).
4. The Punjab Civil Services Rules, Volume III (Travelling Allowance Rules).
5. Financial Hand Book No. 2—The Punjab Financial Rules, Volume I.
6. Financial Hand Book No. 2—The Punjab Financial Rules, Volume II (Appendices and Forms).
7. Financial Hand Book No. 3—The Departmental Financial Rules (Relating to Public Works and Forest Departments).
8. Financial Hand Book No. 4—The Punjab Budget Manual.
9. The Punjab Public Works Department, Irrigation Branch, Manual of Administration.
10. The Punjab Public Works Department Code.
11. Manual of Orders issued by the Punjab Government for the Guidance of Officers of the Irrigation Branch.
12. The Punjab Public Works Department, Irrigation Branch, Manual of Office Procedure.
13. The Punjab Printing and Stationery Manual.
14. The Punjab Law Department Manual.

Bhakra Management Board's Notification S.O. dated 21-5-1969 may be treated as cancelled.

File B-5 Vol. XIX.

NIRPINDER SINGH
Secretary,
Bhakra Management Board.

PRINTED BY THE MANAGER, GOVERNMENT OF INDIA PRESS, FARIDABAD
AND PUBLISHED BY THE MANAGER OF PUBLICATIONS, DELHI, 1969